

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:- एफ.3 (ख)(स्थाईकरण)/अलेसे-III/ 2339

दिनांक:- 28/9/18

आदेश संख्या / 221

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षणकाल पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत 02 वर्ष का परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से स्थाई/नियमित किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट/बैच नं.	नाम (सर्वश्री)/लिंग नं.	जन्मतिथि	कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	92/2011	वीरी सिंह 9791	20.10.1978	03.12.2015	02.12.2017	03.12.2017

श्री वीरी सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को स्थाईकरण तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल एल-10 में सैल नं. 01 में मूल वेतन रुपये 33800/- एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2) एफ.डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03(iv) एवं अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्थान सेवा नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख)(स्थाईकरण)/अलेसे-III/ 2339

दिनांक:- 28/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, अति. निदेशक, स्थानीय निधि प्रशासन विभाग, जयपुर (ख.)
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- अति. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- श्री वीरी सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अति. निदेशक, स्थानीय निधि, जयपुर (ख.)


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)